

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

**प्रेस नोट संख्या 3 (2013 श्रृंखला)**

**विषय:** मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की समीक्षा-2013 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति के पैरा 6.2.16.5 (2) में संशोधन

**1.0 वर्तमान स्थिति**

1.1 दिनांक 5.4.2013 से प्रभावी '2013 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति' के पैरा 6.2.16.5 के अनुसार मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार क्षेत्र में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

1.2 मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार नीति के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की उक्त परिपत्र के पैरा 6.2.16.5 (2) में शामिल सूची को दिनांक 3.6.2013 के प्रेस नोट 1 (2013 श्रृंखला) के जरिए निम्नानुसार संशोधित किया गया था:

6.2.16.5 (2) पैरा 6.2.16.5 (1) (viii) में उल्लिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. दिल्ली
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू और कश्मीर
7. महाराष्ट्र
8. मणिपुर
9. राजस्थान
10. उत्तराखंड
11. दमन और दीव और दादर और नगर हवेली (केन्द्र शासित प्रदेश)

## 2.0 संशोधित स्थिति :

2.1 कर्नाटक सरकार ने पैरा 6.2.16.5 (1) (viii) के संबंध में कर्नाटक में मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार नीति लागू करने के लिए अपनी सहमति दी है। अतः पैरा 6.2.16.5 (2) में दी गई राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची को संशोधित किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाना है:

क्रम संख्या	क्षेत्र/क्रियाकलाप	एफडीआई की सीमा/इक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
6.2.16.5	मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	सरकारी अनुमोदन मार्ग
	(1)..... में एफडीआई (2) पैरा 6.2.16.5 (1) (viii) में उल्लिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची 1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. दिल्ली 4. हरियाणा 5. हिमाचल प्रदेश 6. जम्मू और कश्मीर 7. कर्नाटक 8. महाराष्ट्र 9. मणिपुर 10. राजस्थान 11. उत्तराखंड 12. दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (केन्द्र शासित प्रदेश)		

3.0 उपर्युक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अंजली प्रसाद)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

---

औ.नी एवं सं. विभाग फाइल सं. 5/12/2010 एफसी-1 दिनांक 4 जुलाई, 2013